"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (25).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में 1 अप्रैल, 2011 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अनुसूची-2 के भाग-2 में अनुक्रमांक 10 के क्रमांक (ख) के सामने एवं अनुक्रमांक 40 के सामने कॉलम (3) में अंक "4" के स्थान अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-25/2011/वाक/पांच (25), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10-25/2011/CT/V(25).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part-II of Schedule-II of the said Act with effect from 1st April, 2011 :—

AMENDMENT

In column (3) against S. No. (b) of 10 and S. No. 40 in part-II of the Schedule-II for the figure "4" the figure "5" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

सूचना

क्रमांक एफ 10-25/2011/वाक/पांच.—राज्य शासन का यह विचार है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुसूची-2 के भाग-2 के अनुक्रमांक 40 में वर्णित "अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथाविनिर्दिष्ट घोषित माल" तथा उक्त अनुसूची के भाग-2 के अनुक्रमांक 10 (ख) में वर्णित "कपास का सूत (कपास के सूत लच्छी में को छोड़कर)" वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाए.

2. यह पूर्व सूचना छत्तीसगढ़ मूल संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15-क की उपधारा (2) में की गई अपेक्षा के अनुसरण में दी जा रही है.

Raipur, the 31st March 2011

NOTICE

No. F 10-25/2011/CT/V.—The State Government intent to increase the rate of tax from 4 percent to 5 percent on declared goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, other than those specified in Schedule-I in S. No. 40 and "Cotton yarn (other than cotton yarn in hank)" in S. No. 10 (b) of part II of the Schedule-II under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

2. This notice is being given in pursuance of the requirement under sub-section (2) of section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.